(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 19/16 तारीख रजू 3-11-16

उनवान - हँसराज बनाम हरसहाय बैरवा भीमपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 CPC

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13, आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 CPC पेश किया। प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को सम्मन से तलब कर दिनांक 21-11-16 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

3450
4-11-16

...11-16 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी का नोटिस पुत्र सेतामील से हो चुका है। उपस्थित नहीं है। P.O. साहब करौली मीटिंग में पधारे हैं वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 15-12-16 को पेश हो।

...-12-16 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 21-12-16 को पेश हो।

...-12-16 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा एवं दर० 09 R.13 व 09 R.7 सपठित धारा 151 पेश की। नकल दर० दिलाई वास्ते जवाब दर० दिनांक 5-1-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

प्रार्थी हंसराज वगै0 ने मु0 88/16 उनवानी हरसहाय बनाम हंसराज वगै0 दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा में एकतरफा में हुये डिक्री दिनांक 28.09.2016 को अपास्त करने व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.08.2016 को अपास्त करने बाबत् दिनांक 02.11.2016 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र को अलग से दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी हरसहाय वगै0 को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी हरसहाय वगै0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया तथा मूल पत्रावली को उक्त प्रार्थना पत्र के साथ तलब कर शामिल किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई

अतिधवक्ता प्रार्थी हंसराज वगै0 के द्वारा लिखित बहस की जिसमें उनका कहना है कि न्यायालय द्वारा दिंनाक 22.08.2016 को प्रकरण सं0 88/16 में प्रतिवादीगण हंसराज व रामस्वरूप की प्रोपर तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही की गई। जबकि तामील कुनिन्दा द्वारा हंसराज व रामस्वरूप को उनकी मॉ धप्पो द्वारा दिल्ली में रहना बताया तथा तामील कुनिन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि धप्पो ने किसके सामने सम्मन लेने से इन्कार कर दिया। ना ही किसी गवाह के हस्ताक्षर जबकि हंसराज व रामस्वरूप दिल्ली मजदूरी का कार्य करते है। प्रार्थी हंसराज वगै0 दीपावली पर घर आये तो अप्रार्थी हरसहाय ने दिनांक 20.10.2016 को डिक्री कराने की धमकी देने पर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	वकील से उक्त डिक्री की जानकारी की। तब जाकर उक्त डिक्री तारीखी 28.09.2016 की जानकारी हुई। इसलिये मु0 सं0 88/16 उनवानी हरसहाय बनाम हंसराज वगै0 में जारी एकतरफा कार्यवाही दिनांक 22.08.2016 व एकतरफा डिक्री तारीखी 28.09.2016 को मंसूख फरमाकर सुनवाई का अवसर दिये जावें। अधिवक्ता प्रार्थी हंसराज की लिखित बहस प्रस्तुत किये जाने पर उसकी नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को दी गई। जिन्होने सीधे मौखिक ही बहस करने का निवेदन किया।
	अधिवक्ता अप्रार्थी हरसहाय का अपनी मौखिक बहस में कहना है कि तामील कुन्दिा द्वारा तामील सही व विधिपूर्वक करायी गई। तामील कुनिन्दा प्रार्थी हंसराज के घर पर गया। जहॉ हंसराज व रामस्वरूप की मॉ धप्पो जो प्रकरण में प्रार्थी नं0 03 है व मूलदावे में प्रतिवादी नं0 3 है, घर पर मिली जिसने हंसराज व रामस्वरूप के नोटिसों को यह कहते हुये लेने से इन्कार किया कि व दिल्ली में रहते है तथा स्वयं ने भी नोटिसों को लेने से इन्कार कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी धप्पो परिवार की वयस्क महिला है तथा हंसराज व रामस्वरूप की मॉ है। इसलिये तामील पर्याप्त हो चुकी है। चूंकि आदेश 5 नियम 15 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि प्रकरण में सूचना परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति पर हो जाती है, तो तामील पर्याप्त मानी जाती है। तथा यह नहीं माना जा सकता है कि धप्पो ने उक्त प्रकरण की जानकारी अपने पुत्र हंसराज व रामस्वरूप को नहीं दी हो तथा प्रार्थी द्वारा हंसराज व रामस्वरूप के दिल्ली में कार्य करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। जबकि उक्त प्रकरण की जानकारी बखूबी होने के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
	बावजूद भी प्रार्थीगण न्यायालय में जान बूझकर नहीं आने के कारण दिनांक 22.08.2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। जो सही थी। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण की जानकार शुरू से ही थी, क्योंकि उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थीगण हंसराज वगै0 ने अधिवक्ता श्री जाकिर खांन एडवोकेट के द्वारा अप्रार्थी अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की तारीख पेशी नोट कर प्रकरण पर नजर रखे हुये थे, लेकिन जानबूझकर प्रकरण में हाजिर नहीं हुये। तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये और उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। तथा मूल प्रकरण में प्रतिवादी नं0 4 ता 6 बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक, सहारी भूमि विकास व तहसीलदार टोडाभीम को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि उक्त पक्षकारों के विरूद्ध भी डिकी जारी की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व 9 नियम 7 खारिज करने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी हरसहाय ने कानूनी दृष्टान्त डी एन जे 2016 (4) पेज 1589 राज0 हाईकोर्ट जिसमें विलम्ब के शमन हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 का पेश नहीं किये जाने के कारण अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 खारिज किया तथा डी एन जे 2016 (4) पेज 1786 राजस्थान हाईकोर्ट जिसमें यह निर्धारित किया गया है। सम्मन की तामील में यदि अनियमितता है तो एक पक्षीय डिकी को तामील की अनियमितता के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती। अन्त में प्रार्थी	

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 खारिज किये जाने का निवेदन किया।
	हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी का कहना था कि तामील प्रोपर तारीक से नही हुई। ना ही मुकदमों की जानकारी थी। इसलिये एकतरफा में हुये डिक्री को अपास्त कर सुनवाई का अवसर दिया जावें। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थीगणों को तामील प्रोपर हुई है। और परिवार के व्यस्क व्यक्ति पर जो कि प्रकरण में धप्पो जो प्रार्थी नं0 03 है, पर प्रकरण की तामील हुई है। सम्मन केवल प्रकरण की सूचना के लिये होता है। यदि पक्षकार सूचना के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय उसे बार बार नोटिस भेजने के लिये उत्तरदायी नहीं है। जबकि प्रकरण की जानकारी अधिवक्ता श्री जाकिर खांन अप्रार्थी के अधिवक्ता से तारख पेशीयॉ लेते रहे है और अधिवक्ता श्री जाकिर खांन ने जान बूझकर मुकदमा पेश नहीं किया तथा प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत नही किया है। क्यों कि एकतरफा कार्यवाही व डिक्री को अपास्त करने का 30 दिन की म्याद होती है। जबकि प्रार्थना प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.11.2016 को दिया है तथा एकतरफा कार्यवाही 22.08.2016 को गई थी। प्रार्थीगण की तरफ से अपने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व 9 नियम 7 के साथ म्याद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी दृष्टान्त डी एन जे 2016(4) पेज 1589 में प्रतिपादित किया है। तथा जहॉ तक तामील की

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

4

क

फर्द अहकाम

अनियमितता का संबंध है, उसमें तामील कुनिन्दा द्वारा तामील किसके सामने करायी गई। गवाह के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त नहीं माने जाने का अधार उचित नहीं मानता हूँ, क्योकि आदेश 5 नियम 15 में यदि तामील परिवार के व्यस्क सदस्य पर हो जाती है तो तामीर पर्याप्त मानी जाती है। जैसा कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी नं0 03 धप्पो जो प्रार्थी नं0 01 व 02 की मॉ है, ने तामील लेंने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी की दलील से की तामील पर्यापत होने की बात से मै सहमत हूँ। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी एन जे 2016 (4) पेज 1736 में प्रतिपादित किया है कि तामील की अनियमितता के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अपरस्त नही की जा सकती। उक्त दोनों ही दृष्टान्तों के अनुसार मैं सहमत हूँ और मैं इस निष्कर्ष पहूँचता हूँ कि प्रार्थीगण हंसराज वगै0 की तामील प्रोपर हुई है। और उक्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थीगण हंसराज, राजस्वरूप, धप्पो उक्त प्रकरण में जान बूझकर उपस्थित नहीं आये। इसलिये दिनांक 22.08.2016 को हुई एकतरफा कार्यवाही व दिनांक 28.09.2016 को हुयी एकतरफा डिक्री व निर्णय सही हुये है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर मूल पत्रावली को दाखिले दफ्तर किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner